

10.5.18

वकील प्रार्थी उ०

वकील प्रार्थी के पुनः सुनवाई में

लेने के प्रार्थना पत्र पर व्यवस्था हुनी।

इस मामले के पूर्व आदेश दि० 21.3.18

को निर्वाह किया जाता है प्रजापती सं.

33/12 खासिह बनाम स्व. जगदीश चंद के

LR. पुनः सुनवाई में लेने के आदेश

दिये जाते हैं। सुनवाई पत्र प्रजापती

के सकारण ही प्रजापती के बलबुनार

लेकर भ्रम से काम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली